न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **61/2018** अपील (राजस्व)

श्री कमल पिता कुका डांगी, निवासी बेमला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट विरूद्ध आदेश तहसीलदार मावली दिनांक 15.07.15 नामान्तरकरण नम्बर 1087 ग्राम तुलसीदास जी की सराय

उपस्थित : 1. श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री मनोज कुमार पॅवार, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः— 18.06.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिला कलक्टर उदयपुर के परिपत्र के आधार पर बाड़े का आवंटन निरस्त कर दिया गया। जबकि परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि जिन व्यक्तियो को बाड़े आवंटन किये गये है उनका इन्द्राज राजस्व रेकाड में गैर खातेदार के रूप में किया गया हैं। बाड़ा अस्थायी आवंटन होता हैं। अतः बाड़े के आवंटन पर गैर खातेदार का इन्द्राज नहीं किया जाना चाहिये और जो बाड़ा आवंटन पर गैर खातेदार का इन्द्राज किया गया है उसे हटाये जाने बाबत इस परिपत्र में केवल राजस्व रेकार्ड से गैर खातेदारी का इन्द्राज हटाना हैं। बाड़े का आवंटन निरस्त किये जाने का नहीं

हैं। अपीलान्ट के मकान के नियमन का आदेश तहसीलदार का हैं। अतः नियमन के आदेश को तहसीलदार स्वयं को निरस्त करने का अधिकार नहीं हैं। अपीलान्ट के पिता द्वारा विवादीत भूमि पर पुराना मकान बने होने से नियमन किया गया। व तब से प्रार्थी के पिता इसमें निवास करते चले आये हैं। वह अपने मवेशी बाड़े में बांधते आये हैं। यह मकान गिरा हुआ हालत में होने से अपीलान्ट द्वारा गिराकर नया मकान बनाया जा रहा हैं। जो छत लेवल तक बना हुआ हैं। केवल ढकना बाकी हैं। जिसे भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर बिना अधिकार के रूकवा दिया गया। अपीलान्ट को कथित आदेश की जानकारी दिनांक 23.10.18 को हुई। जिस पर नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर खर्चे की व्यवस्था कर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश मय खर्चा निरस्त फरमाया जावें तथा कथित नामान्तरकरण से बाड़ा निरस्ती का अंकन हटाया जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

उपस्थित अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिला कलक्टर के आदेश को समझने में भारी भूल की हैं। कथित आदेश में यह लिखा गया है कि बाड़ा अस्थायी आवंटन होता हैं। जिसका राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदार का इन्द्राज नहीं किया जाना चाहिये। यदि गैर खातेदारी का इन्द्राज किया गया है तो उस इन्द्राज को हटा देना चाहिये जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना समझे ही राजस्व रेकार्ड से अपीलान्ट का बाड़ा ही निरस्त कर दिया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट के पिता द्वारा मकान बनाया गया था जिस मकान को तहसीलदार मावली के आदेश से नियमन किया गया था। राजस्व रेकार्ड में मकान के नियमन का दाखिला लगा हुआ हैं। तहसीलदार के आदेश से ही मकान नियमन हुआ था। पुनः तहसीलदार इस नियमन को अपने आदेश से खारीज नहीं कर सकता हैं। मौके पर बना मकान को पुनः निर्माण किया जा

रहा था। इस दौरान निरीक्षक द्वारा काम रूकवा दिया गया हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुचना दिये, बिना सुने पारित किये गये आदेश को निरस्त फरमाया जावें।

विद्ववान अधिवक्ता राज्य द्वारा उपस्थित होकर अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी मनमर्जी से बाड़ा हेतु आवंटित भूमि को बिलानाम घोषित नहीं किया हैं। कार्यालय जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश क्रमांक प. 12/3(3) राज/ परिपत्र/ 07/1144 दिनांक 26.02.07 की अनुपालना में गैरखातेदारी हक का निरस्त किया गया हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 98 के तहत ऐसी आवंटित भूमियो को किसी भी हालत में आवंटी के नाम खातेदारी या गैर खातेदारी हक से दर्ज नहीं किया जा सकता हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही वैधानिक हैं। अतः अपील अपीलान्ट को इसी स्तर पर खारीज करना फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का विस्तृत अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी को बाड़े हेतु तहसीलदार मावली के आदेश 113/79 दिनांक 25.05.79 से तुलसीदास जी की सराय की आराजी संख्या 396 में रकबा 1 बिस्वा यानिकी 55 वर्गगज भूमि गैर खातेदारी हक से दर्ज करने की स्वीकृति हुई। परन्तु उक्त आवंटन अस्थायी तौर पर होता हैं। जिसे सरकार को जब भी आवश्यकता होती है तब पुनः बिना मुआवजे के ले सकती हैं। तहसीलदार मावली द्वारा आदेश में यह कही नहीं लिखा है कि इस बाड़े की भूमि का अमलदरामद राजस्व रेकार्ड में किया जावें यानिकी वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अंकन बिना आदेश के हुआ हैं। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना भूमि का राजस्व रेकार्ड में अंकन हुआ हैं। जो कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 98 का उल्लंघन हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा कार्यालय के आदेश क्रमांक प. 12/3(3) राज/परिपत्र/ 07/1144 दिनांक 26.02.07 की

अनुपालना में नामान्तरकरण स्वीकृत किया हैं। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी प्रतित नहीं होती हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से खारीज की जाती हैं।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर